उत्तरांचल शासन
वित्त कर एवम् निवन्धन विभाग
सं0 69–बी / वि0 क0 नि0 / 2–2001 / 2000–2001
देहरादूनः दिनांक 13 सितम्बर 2001

विज्ञप्ति

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि राज्य में कतिपय उद्योगों के विकास को सन्दर्भित करने के लिए नई इकाइयों को कर से छूट या दर में कमी प्रदान करना आवश्यक है,

अतएव, अब, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 74 सन् 1956) की धारा–8 की उपधारा(5), सपठित सामान्य खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा–21, सपठित उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87, के अधीन शक्ति का प्रयोग करके तथा विज्ञप्ति संख्या क0 नि0–2–2592 / ग्यारह–9 (116) / 94–ऐक्ट 74–56–आदेश (29)–2000, दिनांक 24 अगस्त, 2000 को अतिक्रमित करते हुए राज्यपाल घोषणा करते हैं कि उत्तरांचल स्थित किसी नई इकाई (वे इकाइयाँ नहीं जिन्होंने विस्तार, विविधिकरण, आधुनिकीकरण और बैकवर्ड इन्टीग्रेशन किया है) में विनिर्मित किसी माल के सम्बन्ध में, जिसका उत्पादन प्रारम्भ होने का दिनांक 01 अप्रैल, 2000 को या उसके पश्चात् पड़ता है, किन्तु 31 दिसम्बर 2001 के बाद नहीं है, उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) में और तद्धीन समय–समय पर जारी अधिसूचनाओं में, निर्दिष्ट शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए और इस उपान्तरण के अधीन रहते हुए कि इकाई 17 जनवरी, 2000 को निम्न लिखित शर्तो को पूरा करती है, प्रथम बिक्री के दिनांक से या उत्पादन के प्रारम्भ के दिनांक से छः मास की समाप्ति के अनुवर्ती दिनांक से, जो पहले हो, ऐसे माल के विक्रय धन पर उसके विनिर्माता द्वारा, यथास्थिति, कोई कर देय नहीं होगा या घटी दर पर कर देय होगा ।

(क) इकाई सन् 1956 के उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं।

(ख) इकाई ने किसी बैंक या केन्द्रीय या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी वित्तीय निगम या कम्पनी के सावधि ऋण के लिए आवेदन किया हो या वित्तीय व्यवस्था किसी व्यक्तिगत संस्थान अथवा स्वयं के श्रोतों से कर ली है।

(ग) इकाई को कारखाना के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है या उसके द्वारा भूमि की व्यवस्था स्वयं कर ली गई है।

स्पष्टीकरणः– इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ शब्द नई इकाई का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 4–क में उन्हें समनुदेशित किया गया है।

(इन्दु कुमार पान्डे)
वित्त सचिव